मुख्यमंत्री ने नवरात्र स्थापना पर पूजा-अर्चना कर, प्रदेशवासियो की सुख,समृद्धि की कामना की

जयपुर, 03 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को शारदीय नवरात्र स्थापना पर मुख्यमंत्री निवास स्थित राज राजेश्वरी मंदिर में सपरिवार विधिवत रूप से पूजा-अर्चना की।

श्री शर्मा ने मां दुर्गा की आराधना करते हुए प्रदेशवासियों के स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध जीवन की प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

जयपुर पुलिस ने पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर, 8 अरेस्ट

एक महीने में 400 लोगों से ठगे 1 करोड़, बचने के लिए बदलते रहते थे ऑफिस

जयपुर, 3 अक्टूबर (का.सं.)। जयपुर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर गुरुवार को मास्टरमाइंड सहित 8 बदमाशों को अरेस्ट किया है। स्मार्ट डिजिटल सेवा केंद्र के नाम से फर्जी कॉल सेंटर चलाकर आधार, पैन कार्ड सहित ई-मित्र एजेंसी देने के नाम पर ठगी की जा रही थी। पुलिस जांच में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर करोड़ों रुपए ठगी करना सामने आया है। पुलिस से बचने के लिए जयपुर शहर में जगह बदलते रहते थे।

DCP (ईस्ट) तेजस्वनी गौतम ने बताया- पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर से 7 मोबाइल, 16 मॉनिटर व 16 सीपीयू, 1 लेपटॉप व कॉलिंग डाटा आदि जब्त किया है। पूछताछ में सामने आया है कि सितम्बर महीने में करीब 400 लोगों से 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। पुलिस से बचने के लिए जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में जगह बदल-बदल कर कॉल सेंटर चलाते थे। पिछले कई सालों से कॉल सेंटर चलाकर लोगों से ठगी कर रहे है।

कॉल सेंटर चलता मिला

दरअसल, मुखबिर से सूचना मिली थी कि मालवीय नगर स्थित एक बिल्डिंग की थर्ल्ड फ्लोर पर प्रमोद नाम का युवक डिजिटल सीएससी केंद के नाम से ऑफिस चलाता है। वह अपने स्टाफ के साथ लोगों को डिजीटल जन सेवा केन्द्र की सारी सेवा का केन्द्र खुलवाने के नाम पर ठगी करता है। पुलिस टीम के दबिश देने पर एक हॉल में दो टेबलों पर 16 कम्प्यूटर रखे मिले। ऑनर के बारे में पूछने पर लैपटॉप पर काम करने मिले प्रमोद ने खुद को होना बताया। पूछताछ करने पर बताया कि हम फेसबुक पर स्मार्ट डिजिटल सेवा केंद्र के नाम से एड चलाकर लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर उसका डाटा जैसे- नाम, पता व मोबाइल नंबर आदि लेते हैं। स्मार्ट डिजिटल सेवा केन्द्र की सेवाएं उपयोग करने के लिए लोगों से डॉक्यूमेंट लेकर विभिन्न प्रकार की फीस के नाम पर रुपए ऐंठते थे। इस तरह लाखों रुपए की जालसाजल कर ठग चुके है। लोगों को फर्जी सॉफ्टवेयर और डेसबोर्डस भी बेचने का काम किया जाता था।

ये हुए गिरफ्तार

फर्जी कॉल सेंटर से ठगी करने वाले बदमाश प्रमोद कुमार (27) निवासी जेएलएन मार्ग गांधी नगर, अभिराम कुमार (23) निवासी गेट नंबर-2 मुहाना मंडी, योगेश जांगिड़ (19) निवासी दुर्गापुरा शिप्रापथ, शुभम सामरिया (18) निवासी राजपूत कॉलोनी मालवीय नगर, राहुल सिंह (21) निवासी हलेना भरतपुर हाल महावीर नगर महेश नगर, सौरभ शर्मा (21) निवासी सैनी नगर गंगापुर सिटी हाल रामपुरा रोड मुहाना, सीताराम (24) निवासी भुसावर भरतपुर हाल रामपुरा रोड मुहाना और रोहित मुराड़िया (20) निवासी झालना डूंगरी गांधी नगर को अरेस्ट किया है।

आवारा कुत्तों ने किया बच्चों पर अटैक

नोंच खाने से दो मासूम हुए गंभीर घायल, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जताया गुस्सा

जयपुर, 3 अक्टूबर (का.सं.)। जयपुर के शाहपुरा में आवारा कुत्तों के बच्चों पर हमला करने का मामला सामने आया है। आवारा कुत्तों ने छह-सात बच्चों पर हमला कर घायल कर दिया। दो बच्चों को गंभीर घायल होने पर जयपुर हॉस्पिटल रेफर किया गया है। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जताते हुए आवारा कुत्तों को पकड़ने की मांग रखी है।

शाहपुरा के द्रोण कॉलोनी व विनायक कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने बच्चों पर अटैक किया है। ग्रामीणों का कहना है कि आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ा जा रहा है। गुरुवार सुबह आवारा कुत्तों ने कॉलोनी में खेल रहे 6-7 बच्चों पर अटैक कर दिया। बचने की कोशिश में बच्चे चिल्लाते हुए इधर-उधर भागे। कुत्तों ने हमला कर बच्चों को घायल कर दिया। दो बच्चों को चेहरे व हाथ पर नोंच खाया। आवारा कुत्तों के अटैक से घायल बच्चों को शाहपुरा के उपजिला हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। दो बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जयपुर रेफर किया गया।

प्रतिबंध के बावजूद VDO का ट्रांसफर, रेट ने लगाई रोक

जयपुर, 3 अक्टूबर (का.सं.)। प्रदेश में ट्रांसफर पर बैन के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी (**VDO**) झारिया, चूरू के ट्रांसफर आदेश पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) ने रोक लगा दी है। अधिकरण के चेयरमैन विकास सीताराम भाले और सदस्य शुचि शर्मा ने ग्राम विकास अधिकारी मुकेश की अपील पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई। रेट ने इस मामले में पंचायतीराज विभाग के आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चूरू, विकास अधिकारी पंचायत समिति चूरू और सरपंच ग्राम झारिया को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी मांगा है। प्रार्थियों की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा और अंकित स्वामी ने बताया- सरपंच झारिया की झूठी शिकायत पर पंचायत समिति चूरू के विकास अधिकारी ने 12 सितंबर के आदेश से प्रार्थियों का ट्रांसफर करके उसे जिला परिषद चूरू के लिए कार्यमुक्त कर दिया।

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान जोधपुए चैप्टर ने किया शिक्षक सम्मेलन का आयोजन

जोधपुर, 3 अक्टूबर (का.सं.)। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने टीचर्स कांफ्रेंस का आयोजन किया इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र जी गहलोत - राज्य सभा सदस्य, गेस्ट ऑफ़ ऑनर डॉ. सुनील आशोपा जी , हेड ऑफ़ द लॉ डिपार्टमेंट ऑफ़ जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, विशेष अतिथि सीएस मुकेश बंसल जी सह आईसीएसआई सह संस्थापक जोधपुर , मुख्य वक्ता सीएस दिव्यानी धूत और एडवोकेट दीप्ति गोयल - मोटिवेशनल स्पीकर रहे।

आईसीएसआई जोधपुर चैप्टर की अध्यक्ष पूनम वर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य सभी शिक्षकों को कंपनी सचिव प्रोफेशन से अवगत करवाना ताकि वह सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सके। राजेंद्र जी गहलोत ने सभी टीचर्स को कहा की सभी टीचर्स शिक्षा प्रणाली की नींव है गेस्ट ऑफ़ ऑनर डॉ. सुनील आशोपा जी ने आईसीएसआई की बढ़ती डिमांड के बारे में बताया और कहा कि टीचर्स ही माध्यम है विद्यार्थियों को इस कोर्स से अवगत करवाने का। विशेष अतिथि सीएस मुकेश बंसल जी ने बताया सभी शिक्षकों से ज्यादा से ज्यादा करियर अवर्नेस प्रोग्राम करवाने का अनुरोध किया। सभी शिक्षकों को मुख्य अतिथि के हाथों से सम्मानित किया गया। सीएस अंकित माथुर सेक्रेटरी ऑफ़ जोधपुर ने कार्यक्रम की समाप्ति पर सबको धन्यवाद ज्ञापित किया।

कुएं में रस्सी से बंधे मिले मा-बेटे के शव

तीन दिन से थी लापता थे, बिना बताएं घर से निकली थी

टोंक, 3 अक्टूबर (वेब वार्ता)। तीन दिन से लापता महिला और उसके पांच साल के बेटे का शव गुरुवार को कुएं में मिला है। दोनों के शव रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस के अनुसार पीपलू उपखंड क्षेत्र के जावली निवासी माया (29) पत्नी जीताराम यादव अपने पांच वर्षीय पुत्र के साथ लापता थी। वह परिजनों को बिना बताए घर से बेटे के साथ निकली थी। उसके वाद वह लौट के घर नहीं आई। पति ने बुधवार को इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला टोंक जिले के झिराना थाना क्षेत्र के जवाली गांव का है।

आज सुबह करीब 9 बजे लोगों को गांव के पास एक कुएं की सतह पर दोनों मां-बेटे का शव पानी में दिखाई दिया। जवाली समेत आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। दोनों के शव रस्सी से बंधे हुए थे। इसकी सूचना पर झिराना थानाधिकारी हरीमन मय पुलिस जाब्ता के मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। साथ ही एसडीआरएफ को भी बुलाया। स्थ्रत्र टीम के राजेंद्र गुर्जर ने बताया की सुबह सूचना आते ही दस बजे मौके पर पहुंचकर करीब बीस मिनट में दोनों के शवों को रस्सी और चारपाई की मदद से बाहर निकाला। पोस्टमॉर्टम करा कर शव परिजनों को सौंप दिए। झिराना थाना प्रभारी हरीमन मीणा ने बताया कि परिजनों की सहमति से शव का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हे सौंप दिया है। इस मामले की जांच की जा रही है। यह आत्महत्या है या फिर कोई अन्य कारणों से उसकी मौत हुई है। यह जांच में सामने आएगा। माया की शादी 2019 में हुई थी। उसके दो लड़के थे। बड़ा लड़का पांच साल का था और छोटा दो साल का है। मंगलवार दोपहर को 12 बजे दोनों पति-पत्नी खाना खाया। इसके बाद पति दोपहर को ट्रैक्टर लेकर खेत की हंकाई करने चला गया। पत्नी के ससुर भैंसे चराने खेत गए थे।

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अविवाहित बहिन मुन्नी मित्तल की मृत्यु दिनांक 01 मई 2021 को हो गई थी। वह अपने स्वंय के घर में रहती थी, जोकि 259, हिम्मतनगर, टोंक रोड, जयपुर, राजस्थान में स्थित है।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मकान की रजिस्ट्री एवम् अन्य मूलभूत कागजात के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड कहीं खो गये हैं। अगर किसी को प्राप्त होते हैं तो कृपया करके नीचे दिये गये पते पर सूचित करें:-

पताः कैलाश चन्द गुप्ता
पुत्र स्व० श्री सत्यनारायण गुप्ता,
निवासी ए-358, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद
मोबाईल नं०-9582261655

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. वि., विद्युत खण्ड द्वितीय, जयपुर

क्रमांक 1081 दिनांकः 27.09.2024

निविदा सूचना सं. 16/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विद्युत कार्यों हेतु उपर्युक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में **कुल 31 पैकेज / कार्यों जिनकी कुल लागत राशि रू. 18.45 लाख** है, के लिए टेण्डरिंग प्रकिया हेतु ऑफ लाईन निविदाये आमंन्त्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट **"www.dipronline.org"** एवं **"sppp.raj.nic.in"** पर देखा जा सकता है।

निविदा प्रपत्र बिक्री की दिनांक	15.10.2024 को दोपहर 01.00 बजे तक
निविदां प्रपत्र प्राप्ति की दिनांक	16.10.2024 को दोपहर 01.00 बजे तक
निविदा खोलने की तारीख	16.10.2024 को दोपहर 01.30 बजे तक

निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट **dipronline.com** पर एवं निविदां दस्तावेज का विवरण वेबसाईट **http://sppp.raj.nic.in** पर देखा जा सकता है । सम्पूर्ण निविदां प्रक्रिया ऑफ लाईन सम्पादित की जावेगी।

UBN No. PWD2425WSOB06829, PWD2425WSOB06830, PWD2425WSOB06831, PWD2425WSOB06832, PWD2425WSOB06834, PWD2425WSOB06835, PWD2425WSOB06837, PWD2425WSOB06840, PWD2425WSOB06841, PWD2425WSOB06845, PWD2425WSOB06847, PWD2425WSOB06848, PWD2425WSOB06850, PWD2425WSOB06851, PWD2425WSOB06853, PWD2425WSOB06856, PWD2425WSOB06857, PWD2425WSOB06860, PWD2425WSOB06861, PWD2425WSOB06863, PWD2425WSOB06865, PWD2425WSOB06867, PWD2425WSOB06868, PWD2425WSOB06870, PWD2425WSOB06871, PWD2425WSOB06872, PWD2425WSOB06873, PWD2425WSOB06874, PWD2425WSOB06875, PWD2425WSOB06876, PWD2425WSOB06877

(संजय कुमार)
अधिशाषी अभियन्ता .सा.नि.वि. विद्युत
खण्ड-द्वितीय जयपुर
कोड नं. 5/9284
DIPR/C/9369/24 मो. नं. 9414255963

जयपुर में डेटिंग ऐप पर दोस्ती कर लूट, 4 अरेस्ट

मिलने के बहाने धोखे से बुलाते, वीडियो बनाकर करते ब्लैकमेल

जयपुर, 3 अक्टूबर (का.सं.)। जयपुर में डेटिंग ऐप से दोस्ती कर लूट करने वाली गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गैंग के चार बदमाशों को अरेस्ट किया है। पुलिस पूछताछ में गैंग ने लाखों रुपए की लूट करना स्वीकार किया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

DCP (ईस्ट) तेजस्विनी गौतम ने बताया- गैंग के बदमाश जितेन्द्र कुमार (24) निवासी लोसल सीकर, रविन्द्र सिंह राठौर (20) निवासी डीडवाना कुचामन, चेतन शर्मा (20) निवासी गाजी अलवर और निखिल गुर्जर (20) निवासी सुभाष नगर भीलवाड़ा हाल प्रताप अपार्टमेंट प्रताप नगर को अरेस्ट किया है। प्रताप नगर थाने में पिछले दिनों डेटिंग ऐप के जरिए दोस्ती कर लाखों रुपए लूट के दो मामले दर्ज हुए थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि ब्लैकमेलिंग कर लूट करने वाली एक गैंग सक्रिय है। डेटिंग ऐप के जरिए वह युवकों से कॉन्टेक्ट करती है।

पैसे वाली फर्म होने का पता चलने पर फर्जी तरीके से लिए मोबाइल नंबर को शेयर किया जाता है। बातचीत कर उसे दोस्ती के जाल में गैंग के बदमाश फंसाकर रखते हैं। लूट के लिए फर्जी तरीके से किराए का मकान तक लेते हैं। मिलने के बहाने मकान पर बुलाकर गैंग के बदमाश उसे बंधक बना लेते है। उसके वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर लाखों रुपए की लूट वारदात को अंजाम देकर छोड़ देते है। पुलिस टीम के गैंग के बदमाशों की तलाश करने पर लोकेशन सीकर व नागौर की मिली। पुलिस ने वारदातस्थल के आस-पास लगे **CCTV** फुटेज से बदमाशों की तलाश शुरू की। पुलिस ने ब्लैकमेल कर लूट गैंग के चारों बदमाशों को धर-दबोचा।

इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

रजि. कार्यालयः - यूनिट नंबर 305, तीसरी मंजिल, विंग 2/ई, कॉर्पोरेट एवेन्यू, अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड, चकला, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400093। ईमेलः -**connect@indostarhfc.com**
सीआईएन नंबर:-**U**65990**MH**2016**PTC**271587

INDOSTAR

कब्ज़ा नोटिस

[नियम 8(1) और (2)]

जबकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत और सुरक्षा के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यहां उल्लेखित सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लेखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया।

उधारकर्ता(ओं) द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। प्रत्येक संपत्ति के सामने उल्लिखित तिथि पर सुरक्षा हित प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग।

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन नीचे उल्लेखित राशि और ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के उस पर शुल्क के अधीन होगा।

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता(ओं) और संपत्ति विवरण	डिमांड नोटिस की राशि और तारीख	कब्ज़ा की तारीख	कब्ज़ा स्थिति
LNBRPLAP- 06230033065	1. सुरेश कुमार (उधारकर्ता) 2.कुसुम कुमारी (सह-उधारकर्ता)	रु. 4,74,163/- (चार लाख चौहत्तर हज़ार एक सौ तिरेसठ रूपये मात्र) दिनांकः -14-जून-2024	01-अक्टूबर-2024	सांकेतिक कब्ज़ा

संपत्ति का असरः- संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और पार्सल प्लॉट नं.-99, माप क्षेत्र 192.44 वर्ग गज, गांव-सबोरा, ग्राम पंचायत-सबौरा, पंचायत समिति-कुम्हेर, तहसील-कुम्हेर, जिला-भरतपुर, राजस्थान।

स्थानः भरतपुर
दिनांकः 04.10.2024

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

चाकू की नोक पर युवक से लूट

जयपुर, 3 अक्टूबर (का.सं.)। जयपुर में चाकू की नोक पर एक युवक से लूट का मामला सामने आया है। ऑटोरिक्शा में बैठकर युवक अपने घर जा रहा था। रास्ते में ड्राइवर ने अपने साथी के साथ मिलकर लूट की वारदात की। धक्का मारकर ऑटोरिक्शा से नीचे गिराकर बदमाश भाग निकले। सदर थाने में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

SI अभिषेक स्वामी ने बताया- महावीर कॉलोनी सांगानेर निवासी प्रदीप कुमार मांझी (38) ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 30 सितम्बर की रात करीब 12:30 बजे जयपुर रेलवे स्टेशन से उतरकर अपने घर जाने के लिए ऑटोरिक्शा किराए पर लिया था।

नौ योजनाओं के माध्यम से नारी शक्ति का वंदन कर रही भाजपा सरकार: यादव

भोपाल, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। नवरात्रि पर्व के प्रथम दिन नारी शक्ति को नमन करते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी नौ योजनाओं के माध्यम से नारी शक्ति को वंदन करती है।

डॉ यादव ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा, शक्ति को नमन, नारी शक्ति का वंदन। एक बिटिया के रूप में, एक कन्या के रूप में, एक बहन के रूप में, एक मां के रूप में; नारी हर रूप में माता के 9 स्वरूपों के समान वंदनीय है। भाजपा सरकार नारी को देवी स्वरूप मानकर अपनी 9 योजनाओं के माध्यम से नारी शक्ति का वंदन करती है। इसके साथ ही डॉ यादव ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें इन नौ योजनाओं जैसे लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, पोषण आहार अनुदान योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नामों का भी उल्लेख है।

उच्चतम न्यायालय ने जाति-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कुछ राज्यों की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव, काम के बंटवारे और कैदियों को उनकी जाति के अनुसार अलग वार्डों में रखने के चलन की निंदा की।

भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेलों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। पीठ ने कहा, ''राज्यों की जेल नियमावली के प्रावधान के अनुसार, जेलों में वंचित वर्ग के कैदियों के साथ भेदभाव के लिए जाति को आधार नहीं बनाया जा सकता है।'' साथ ही पीठ ने कहा कि ऐसी प्रथाओं की अनुमति नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा, ''कैदियों को खतरनाक परिस्थितियों में सीवर टैंकों की सफाई करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।'' पीठ ने आदेश दिया कि पुलिस को जाति आधारित भेदभाव के मामलों से निपटने के लिए पूरी तत्परता से काम करना होगा। पीठ ने कहा कि निश्चित वर्ग के कैदियों को जेलों में काम के उचित बंटवारे का अधिकार है।

शीर्ष अदालत ने जेल नियमावली के आपत्तिजनक नियमों को खारिज करते हुए राज्यों से तीन महीने के भीतर नियमों में संशोधन करने को कहा। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी विशेष जाति के कैदियों को सफाईकर्मियों के रूप में चयन करना पूरी तरह से समानता के अधिकार के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल जनवरी में मूल रूप से महाराष्ट्र के कल्याण की निवासी सुकन्या शांता द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल सहित 11 राज्यों से जवाब मांगा था। न्यायालय ने इन दलीलों पर गौर किया था कि देश के कुछ राज्यों की जेल नियमावली जेलों के अंदर काम के बंटवारे में भेदभाव को बढ़ावा देती हैं तथा कैदियों को कहां रखना है, इसका निर्णय भी उनकी जाति के आधार पर किया जाता है। याचिका में केरल जेल नियमावली के प्रावधानों का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि ये नियम आदतन अपराधी और दोबारा दोषी ठहराए गए अपराधी के बीच अंतर करते हैं।

सीएक्यूएम ने पराली जलाने से रोकने के लिए उसके निर्देश लागू करने का प्रयास नहीं किया: न्यायालय

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को बृहस्पतिवार को फटकार लगाई और कहा कि उसने ऐसी घटनाओं को रोकने के वास्ते उसके निर्देशों को लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि सीएक्यूएम ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ एक भी मुकदमा शुरू नहीं किया है। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर 29 अगस्त को ही बैठक हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बैठक में 11 में से केवल पांच सदस्य ही मौजूद थे, जहां उसके निर्देशों के क्रियान्वयन पर चर्चा तक नहीं हुई।

आपराधिक घटना चरम पर, अपराधी बेखौफ: कांग्रेस सांसद मनोज कुमार

पटना, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को गोली मारे जाने पर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने नीतीश सरकार की कार्यशैली पर तंज कसते हुए कहा, अरे आप क्या कह रहे हैं? ये सब तो राजद और कांग्रेस के शासनकाल में होता था। लेकिन, अब ये सब क्यों हो रहा है। अभी तो सुशासन होना चाहिए न, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है।

उन्होंने कहा, प्रदेश में हत्या चरम पर है। अपराधी खुलेआम अपने नापाक इरादों को अंजाम दे रहे हैं। सरकार की मजबूरी देखिए कि वो किसी भी अपराधी के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। कानून-व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। माफिया, दरिंदे और हत्यारों का मनोबल अपने चरम पर है। प्रदेश में कहीं पर भी कानून का इकबाल नजर नहीं आ रहा है। अच्छे और ईमानदार लोगों को सरेआम गोली मारी जा रही है, लेकिन मजाल है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जुर्रत करे।

कांग्रेस सांसद ने कहा, यह कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी सासाराम में एक होम गार्ड को गोली मारी गई थी। भभुआ में एक बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया गया। कहने का मतलब है कि प्रत्येक दिन बिहार में यह सब घट रहा है। मैं नीतीश कुमार से निवेदन करना चाहता हूं कि वो प्रदेश में कानून का इकबाल स्थापित करें और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, ताकि बिहार में ऐसी स्थिति फिर कभी पैदा ना हो। लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि मुख्यमंत्री साहब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगातार ढुलमुल रवैया अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे अब हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूंगा कि वो प्रशासन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाएं। प्रशासन लूट-खसोट में लगा हुआ है। अगर प्रशासन के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार नहीं किया गया, तो बिहार में इसी तरह से आपराधिक घटनाओं में तेजी देखने को मिलेगी। बिहार की मौजूदा स्थिति ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बता दें कि बिहार के मुंगेर में गुरुवार मॉर्निंग वॉक पर निकले राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को गोली मार दी गई।

ICICI Home Finance

कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी - कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400059, भारत

शाखा कार्यालयः ग्राउंड फ्लोर, एस-32, जेडीए मार्केट, गोपालपुरा, मानसरोवर लिंक रोड, रिधि सिद्धि स्वीट्स के पास, जयपुर- 302018

निजी संधि के माध्यम से अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निजी संधि के माध्यम से अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(8) के साथ नियम 9 (1) के साथ पढ़ा जाए।

आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईसीआईसीआई एचएफसी) ने नीचे उल्लेखित गिरवी संपत्ति की बिक्री के लिए कई ई-नीलामी आयोजित की, हालांकि, ऐसी सभी ई-नीलामी विफल रही। अब, एक इच्छुक खरीदार ने उक्त संपत्ति को 10,00,000 रुपये की राशि में खरीदने की पेशकश के साथ आईसीआईसीआई एचएफसी से संपर्क किया है। इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका कब्ज़ा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को यहां नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरणों के अनुसार निजी संधि के माध्यम से ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर बेचा जाएगा;

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/कानूनी उत्तराधिकारियों का नाम ऋण खाता संख्या	सुरक्षित का विवरण ज्ञात के साथ संपत्ति रुकावटें, यदि कोई हो	असाधारण मात्रा	आरक्षित मूल्य / अग्रिम जमा धन	सिंपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	नीलामी की तारीख समय	नीलामी तिथि से एक दिन पहले	सरफेसी अवस्था
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)
1.	रशंकर लाल (उधारकर्ता) मंजू देवी (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या **NHYDW**00000842858 और **NHYDW**00001046954	खसरा नं. 3048/2, गणपति नगर, प्लॉट नं. 354/बी, डीडवाना, जिला. नागौर, राजस्थान	रु. 23,11,424/- 20 सितंबर 2024	रु. 10,00,000/- / रु. 1,00,000/-	11 अक्टूबर 2024 11:00 पूर्वाह्न 03:00 अपराह्न	22 अक्टूबर 2024 02:00 अपराह्न 03:00 अपराह्न	21 अक्टूबर 2024 04:00 बजे से पहले	भौतिक कब्ज़ा

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी मेटेक्स नेट प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (यूआरएल लिंक- **https://assets.matexauctions.com**) पर आयोजित की जाएगी। संभावित बोलीदाताओं को बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/ डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा। (डीडी) (कॉलम ई देखें) आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय का पता **21 अक्टूबर 2024 को शाम 04:00 बजे** या उससे पहले लेख के शीर्ष पर उल्लेखित है। संभावित बोलीदाताओं को इसकी एक हस्ताक्षरित प्रति भी जमा करनी होगी। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम और शर्तें फॉर्म, शाखा कार्यालय का पता **21 अक्टूबर, 2024 को शाम 05:00 बजे** से पहले या उससे पहले लेख के शीर्ष पर उल्लेखित है। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से ''आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड-नीलामी'' के पक्ष में पाली में देय होना चाहिए।

आम जनता से अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित इच्छुक खरीदार द्वारा दी जा रही राशि से अधिक की बोली जमा करें। इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि यदि आईसीआईसीआई एचएफसी द्वारा उपरोक्त इच्छुक खरीदार द्वारा दी जा रही राशि से अधिक की कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो गिरवी रखी गई संपत्ति उक्त इच्छुक खरीदार को नियम 8(8) आर/डब्ल्यू नियम9(1) के अनुसार बेची जाएगी। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002, बिक्री या बोली जमा करने के निरीक्षण, नियमों और शर्तों के संबंध में किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300 पर संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई और कारण बताए किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **https://www.icicihfc.com/** पर जाएं।

दिनांकः 04 अक्टूबर, 2024
स्थानः नागौर

प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
CIN Number:- U65922**MH**1999**PLC**120106

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आँशिक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेलः **yuvrajsinghh@gmail.com** पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर **RJ/JPC/D-009/2006-08**